न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

नजरसानी प्रकरण सं0 13/2018

1. प्रविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर
5. मनजीत कौर
6. कर्मजीत कौर
7. परमजीत कौर

(5–7) पिसरान बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 3 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गेजसिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. सुबेग सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला,श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. प्रशासन स्थाई समिति पदमपुर आदेश दिनांक 10.11.1986 को प्रार्थी का आवंटन खारिज कर अहाता संख्या 143 व 144 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को दिनांक 20.03.1991 को आवंटन किया गया को निरस्त कर आवंटन 06.08.1983 बहाल किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

आदेश **दिनांकः 28.05.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 को आवंटन करना खिलाफ कानून, वाकेयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले खारिजी है। जिला कलक्टर को एक शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पचांयत 3 आर.बी. के 26 व्यक्तियों को 37 आर.बी. में विधि विरूद्व अहाते अलॉट किये गये है जिसकी जांच कर उनके विरूद्व कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत विभाग के पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया , पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटन अहाता नम्बर 143–144 के सम्बन्ध में भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

रिपोर्ट की गयी। रिपोर्ट के आधार पर उक्त अहातों को खारिज करने के लिए निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो पत्रावली में 13.02.1985 लगाये गये आक्षेपों के आधार पर प्रशासन स्थाई समिति द्वारा निलामी को स्वीकृत नहीं करने का सहारा लेकर अस्वीकृत कर दिया और इस आधार पर दिनांक 10.11.1986 को संचिव ग्राम पंचायत 3 आरबीए को उक्त कागजो में निरस्त कर कार्यालय में पालना प्रस्तुत करने हेतु लिख दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का आवंटन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अगर जांच में अनियमितता पायी जाती है तो पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27(ए) में व पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 272 में निगरानी प्रस्तुत कर भी आवंटन खारिज करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं ? अधीनस्थ अदालत ने विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जो अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर आदेश पारित किया है व रेस्पोडेन्ट को रकबा अलॉटमेन्ट किया है। वह विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। उक्त आवंटन करने से पूर्व निलामीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक सिद्वान्तो के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। उक्त अहाते से सम्बन्धित रिकॉर्ड में दिनांक 10.11.1986 को खसरा रजिस्टर प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटन खारिज का नोट अंकित व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 के नाम से आवंटन दर्ज करने का नोट लगा है, लेकिन इसकी कोई मिसल नहीं है, कोई कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव नहीं है, कब प्रार्थना–पत्र दिया, कब पत्रावली बनी, कब निलामी हुई। ऐसा कोई रिकॉर्ड पंचायत रिकॉर्ड के अन्तर्गत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 व 04 को आवंटन कर दिया जबकि इन्ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 व 04 को अहाता नम्बर 75, 81, 145,147,154 आवंटन करवाया था जिसकी सामूहिक रूप से जांच की गयी और जांच में इनको पात्र नहीं मानते हुए इनके अलॉटमेन्ट खारिज किये है तो दोबारा इनको नया आवंटन नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.1986 एकतरफा है जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को इससे पूर्व नहीं था। वकील के बताने पर दिनांक 25.03.2018 को हुआ। ईल्म होते ही नकल के लिए पंचायत 3 आर.बी.ए में आवेदन पत्र दिया गया। नकल प्राप्त नहीं हुई अदालत में जो निगरानी चल रही है उसमें आवेदन पत्र दिया उसमें खसरा रजिस्टर की नकल दिनांक 28.03.2018 को प्राप्त हुई है। नकल प्राप्त होते ही आज बिना किसी देरी व लापरवाही के अन्दर अवधि निगरानी पेश की जा रही है। इसलिए निगरानी पेश करने में हुई देरी कन्डोन की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश 10.11.1986 व रेस्पोडेन्ट का आवंटन निरस्त कर निगरानीकर्ता का आवंटन बहाल करने का आदेश प्रदान करें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 को आवंटन करना खिलाफ कानून, वाकेयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले खारिजी है। जिला कलक्टर को एक शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पचांयत 3

आर.बी. के 26 व्यक्तियों को 37 आर.बी. में विधि विरूद्ध अहाते अलॉट किये गये है जिसकी जांच कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत विभाग के पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया , पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटन अहाता नम्बर 143—144 के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अहातों को खारिज करने के लिए निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो पत्रावली में 13.02.1985 लगाये गये आक्षेपों के आधार पर प्रशासन स्थाई समिति द्वारा निलामी को स्वीकृत नहीं करने का सहारा लेकर अस्वीकृत कर दिया और इस आधार पर दिनांक 10.11.1986 को संचिव ग्राम पंचायत 3 आरबीए को उक्त कागजो में निरस्त कर कार्यालय में पालना प्रस्तुत करने हेतु लिख दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का आवंटन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अगर जांच में अनियमितता पायी जाती है तो पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27(ए) में व पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 272 में निगरानी प्रस्तुत कर भी आवंटन खारिज करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं ? अधीनस्थ अदालत ने विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जो अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर आदेश पारित किया है व रेस्पोडेन्ट को रकबा अलॉटमेन्ट किया है। वह विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। उक्त आवंटन करने से पूर्व निलामीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक सिद्वान्तो के विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश 10.11.1986 व रेस्पोडेन्ट का आवंटन निरस्त कर निगरानीकर्ता का आवंटन बहाल करने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिन भूखण्डो के सम्बन्ध में निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है उसमें तमाम कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा की गई थी तथा तमाम तथ्य निरीक्षण दल तथा ग्राम सचिव के समक्ष रखे गये थे जिनके आधार पर पूर्व सरपंच द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर लगभग 29 पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों के नाम से जारी कर दिये गये थे। उनमें से भूखण्ड संख्या 143 व 144 के सम्बन्ध में निगरानी पेश की गई है तथा तथ्यों को छिपाते हुए कार्यवाही की जा रही है। भूखण्ड सख्या 143—14 जो निरस्त किये गये विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर निरस्त किये गये है। अहाता संख्या 143—144 जो दिनांक 20.03.1991 को विधिवत पूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर आवंटन हुआ है। अतः मुझ अप्रार्थी सख्या 03—04 को दिनांक 20.03.1991 को किया गया आवंटन बहाल रखा जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी भूखण्ड वाके चक 37 आरबीए के अहाता संख्या 143 व 144 के सम्बन्ध में दिनांक 12.04.2018 को प्रस्तुत की है और इन्ही भूखण्डों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने एक वाद अनवानी परमिन्द्र सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अदालत —सिविल न्यायधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

समक्ष वाद संख्या 47/14 दिनांक 01.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायायल में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 10.11.1986 ग्राम पंचायत का नहीं होकर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह कहीं अंकित नहीं किया कि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान निगरानीकर्ता को कब व किससे हुआ। यह समस्त तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा मात्र इस आवेदन पत्र को रंग देने के लिए झूठे व मनघण्डत अंकित किए गए है, जबकि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान शुरू से ही निगरानीकर्ता को है क्योंकि विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा बाद प्रशासनिक जांच निगरानीकर्ता व इस चक के अन्य कई परिवारों के पट्टे दिनांक 10.11.1986 को निरस्त कर दिए है। इनकी ताईद **''बीडीओ पदमपुर को उक्त वाद में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.11.2014 के अनुसार गांव 37 आर.बी. का अहाता संख्या 135 ता 143 ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए के पास उपलब्ध खसरा रजिस्टर के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 में लिये गये निर्णय अनुसार निरस्त किये गये है ''** होती है इसके उपरान्त उक्त अहाताजात को गांव के अन्य निवासियों को अलाट कर दिए गए तथा आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्ति अपने-अपने अहाताजात पर काबिज चले आ रहे है। अहाता संख्या 143 व 144 बाद में अप्रार्थी संख्या 03 व 4 को विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी 30 वर्षो के बाद पेश की गई है जिसमें हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण भी अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली अहाता नम्बर 143-144 के लिए सबसे अधिक 105/- रूपये होने के कारण निगरानीकर्ता को बोली में दिये गये है जिनका पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया जबकि ग्राम पचांयत द्वारा उपृलब्ध करवाये गये मूल अभिलेख के तहत उपलब्ध करवाई गई पत्रावलियों को देखने पर पाया गया कि प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 द्वारा उक्त निलामी अस्वीकृत की गई है। स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 के आलोक में पत्रावली संख्या 78 अनवानी बलवन्त सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें प्रकरण की प्रशासनिक जांच कर्ता पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निम्न आक्षेप लाल स्याही से अंकित किए गए हैः-

1. विक्री पुष्टि के लिए सक्षम अधिकारी के पास नहीं भेजी गई। (नियम 265)
2. प्रस्तुत नक्शा पर नक्शा नवीस तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है।(नियम 257(5)
3. जारी नोटिस दोनो को चस्पा नहीं किया गया।(नियम 260)
4. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1983 में प्रार्थी द्वारा कोई अहाता नम्बर की मांग नही की गई है। किस आधार पर इसे अहाता नम्बर 140 दिया गया ?(नियम 256)
5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। (नियम 260(2)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत आबादी भूमि के विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 265 में विहित की गई है। निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली में उक्त प्रक्रिया को नही अपनाए जाने से उपरोक्त आक्षेपों लगाए गये है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है। नियमों में विहित प्रावधानों और प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण पट्टो की वैद्यता नहीं रही । लिहाजा इन्हें निरस्त करने के आदेश सक्षम स्तर से दिए गए थे। जिसकी पालना में उक्त अहातो के पट्टे तत्समय निरस्त कर दिये गए। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकार द्वारा कोई चाराजोही किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को आवंटित अहातों के सम्बन्ध में किये गए आक्षेपो के बारे में रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर परीक्षण किया गया। वकील अप्रार्थी सख्या 03 व 04 की ओर से प्रस्तुत अभिलेख पत्रावली संख्या 48 गेजसिंह, सुरेन्द्र सिंह 37 आर.बी. बाबत खरीदने अहाता सख्या 140–143–144 को देखने में स्पष्ट होता है कि इसमें विक्रय प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा नम्बर 86 दिनांक 05.04.1991 जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की मांग व आवेदन पर बाद सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 20.03. 1991 से जारी हुआ है। नीलामी की सूचना एवं फर्द नीलामी की कार्यवाही की भी इसमें पुष्टि होती है। यह 1500/–रूपये जरिये रसीद नम्बर 88 दिनांक 20.03. 1991 की उच्चतम बोली पर दिया गया है। इस विक्रय पर बाद में पट्टा जारी होने तक कोई आक्षेप भी प्रस्तुत होना नहीं पाया गया है। और न ही यह पट्टा निरस्त हुआ है अतः यह पट्टा आज भी प्रभाव में है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता का आक्षेप ग्राह्य नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. को बाद प्रशासनिक जांच एवं पं.समिति पदमपुर के द्वारा विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने एवं जांच में विक्रय प्रक्रिया को आक्षेपित कर लिये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर द्वारा प्रदत आदेशो के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रस्ताव 138 दिनांक 10.11.1986 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के पट्टो को, जो कि अहाता सख्या 143 व 144 चक 37 आर.बी. को सार्वजनिक नोटिस दिनांक 15.11.1986 चस्पांदगी (नियम 259(2) की पालना में) के पश्चात निरस्त करने का ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किया गया वह विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकृत प्रस्ताव सख्या 138 दिनांक 10.11.1986 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. के प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)